

॥ कार्यालय आदेश ॥

का०आ०सं०-बी०/मु०स्था०-०२-०१/२०१४/७९/जे०, दिनांक-15.07.2014

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं०-15/बि०स०से०-०३-०३/२०१३ सा०प्र०-१९६, दिनांक-३०.०५.२०१४ के आलोक में मुख्य अभियंता का कार्यालय, योजना एवं मॉनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-२५१, दिनांक-२६.०६.२०१४ द्वारा विरमित होने के फलस्वरूप श्री दशरथ गिरि, नव नियुक्त सहायक को विधि विभाग के सम्पर्क कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली में रिक्त सहायक के पद पर दिनांक-०२.०७.२०१४ (पूर्वाह्न) से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

२. श्री गिरि का वेतनादि का भुगतान सम्पर्क कार्यालय, विधि विभाग, बिहार भवन, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये उपस्थिति विवरणी के आधार पर इस विभाग से किया जायेगा।

३. प्रस्ताव में प्रभावी सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-सुरेन्द्र कुमार

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-/जे० पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-सुरेन्द्र कुमार

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-5170...../जे० पटना, दिनांक 17.07.14

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता का कार्यालय योजना एवं मॉनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, सम्पर्क कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली/लेखा शाखा, विधि विभाग, बिहार, पटना (दोहरी प्रति में)/आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना एवं श्री दशरथ गिरि, नव-नियुक्त सहायक, सम्पर्क कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(सुरेन्द्र कुमार)

सरकार के अवर सचिव, बिहार।
16/7/14